नशीली वस्तुएं

वर्तमान दौर में पैदा होने वाली समस्याओं के हल के लिए स्थापित संस्था इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इन्डिया का इक्कीसवां इन्टरनेशनल फ़िक्ही सेमिनार प्रसिद्ध व्यापारिक शहर इन्दौर के निकट जामिया इस्लामिया बन्जारी में दिनांक 9-11 रबीउस्सानी 1433 हिजरी, 3-5 मार्च 2012ई0 आयोजित हुआ, इस सेमिनार में दूसरे मुद्दों के साथ नशीली वस्तुओं की तैयारी और इस्तेमाल की रोक थाम के बारे में भी बहस की गयी और आम सहमति से निम्न प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

अल्लाह ने इन्सान को लाभ पहुंचाने वाली चीज़ों को हलाल और पाक बनाया और हानि पहुंचाने वाली चीज़ों को हराम व नाजायज़ ठहराया है। पूरे दीन इस्लाम कें मानव प्रकृति की रिआयत हर मोड़ पर मौजूद है। खाने पीने की अनुमति के साथ साथ हानि पहुंचाने वाली चीज़ों की मनाही व हुर्मत क़ुरआन पाक और मुबारक हदीसों में उसूली रूप से बयान कर दी गयी हैं। इन्हीं में वे सारी चीज़ें शामिल हैं जो बृद्धि को प्रभावित करने वाली और हानि पहुंचाने वाली हैं।

मानव अंगों में दिमाग़ को सबसे अधिक महत्व हासिल है। मनुष्य इसी दिमाग़ द्वारा दूसरे जानवरों से प्रमुख होता है और इसी दिमाग़ के आधार पर वह शरअी आदेशों के पालन का पाबन्द होता है। मानवता के जीवन और उसका लाभ व हानि दिमाग़ ही की सलामती पर क़ायम है।

दिमाग़ व सूझ बूझ को प्रभावित करने और नैतिक बिगाड़ पैदा होने का बड़ा साधन नशा है चाहे वह किसी भी शक्ल से हो, इसमें बड़ी हानि है जिसके नतीजे में इन्सान दिमाग़ व सूझ बूझ से बेगाना होकर दीन व दुनिया की तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है।

शराब का वर्जित (हराम) होना शरीअत में सिद्ध है अर्थात सर्वमान्य है चाहे वह किसी नाम और किसी शीर्षक से परिचित हो, इस सिलसिले में शरीअत का स्पष्ट उसूल यही है कि हर नशीली वस्तु हराम है। आज नशे के लिए खुम्र व शराब के अलावा बहुत सी वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है जो ठोस भी होती हैं और तरल भी, मात्र में बहुत कम लेकिन प्रभाव डालने में अत्यन्त तीव्र और शराब से बढकर अफ़ीम, कोकीन, हीरोइन, स्मैक, गांजा और इस जैसी बहुत सी चीज़ों की बुराई शराब से कहीं बढ़कर है। आज पूरी मानव बिरादरी सामाजिक रूप से इससे प्रभावित है। नशीली वस्तुओं ने सबको अपनी लपेट में ले रखा है और पूरी दुनिया में इस हवाले से चिंता पायी जाती है। इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी के इक्कीसवें सेमिनार जामिया इस्लामिया बन्जारी, इन्दौर आयोजित 3-5 मार्च 2012 ई0 में विस्तार से बहस हुई और निम्न प्रस्ताव पर सहमति हुई।

1- पूरी दुनिया में शराब और दूसरी नशीली चीज़ों में अन्तर की जो कार्यविधि अपनायी जा रही है वह ख़तरनाक, न समझ में आने वाली और मानव हमदर्दी के विरुद्ध है। दूसरी नशीली वस्तुओं पर आलमी बिरादरी की जो सोच है, वही शराब के लिए भी अपनायी जानी ज़रूरी है। समूची बुराइयों की मां (शराब) के

लिए भी लाइसेंस न दिए जाएं और उनका खरीदने व बेचने पर भी पूर्ण रूप से पाबन्दी लगायी जाए।

2- भारतीय संविधान के रहनुमा उसूल की धारा 47 में लिखा है कि राज्य इस बात की कोशिश करेगा कि चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के अलावा नशीले पेय और स्वास्थ के लिए हानिकारक दवाओं के इस्तेमाल की मनाही करे। इस धारा के देखते हुए शराब और अन्य नशीली वस्तुओं के विनाश और खतरनाकी को सामने रखते हुए इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी का यह सेमिनार सरकार से मांग करता है कि इसे शीध्र अति शीध्र लागू किया जाए और इस संबंध में ठोस क़ानून बनाया जाए।

3- यह सेमिनार समूचे इन्सानों से सामान्यता और मुसलमानों से मुख्य रूप से अपील करता है कि वे नशीली वस्तुओं से दूर रहें, ताकि उनकी मानसिक विकास और शरीरिक बढोत्तरी का अमल प्रभावित न हो और वे समाज पर बोझ बनने की बजाए अपनी व्यक्तिगत बल्कि समस्त योग्यताओं के कारण देश व क़ौम के लिए हितकारी बन सकें।

4- हम सभी को यह बात अपने समक्ष रखनी चाहिए कि इन्सान के पास उसके समूचे अंग, जोड़, शरीर व जान, बुद्धि व सूझ बूझ और विवेक उसकी अपनी सम्पत्ति नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत हैं और वह शरीअत के बताए हुए तरीक़ों के अनुसार उनके इस्तेमाल का पाबन्द है। वह कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इन अंगों के काम काज प्रभावित हों या पूर्णतया समाप्त हो जाएं। शराब का हराम होना सर्व मान्य है चाहे वह किसी नाम और किसी शीर्षक से परीचित हो और वह किसी भी चीज से बने।

5- इसके अलावा चीज़ों के हराम होने का हुक्म नशा पैदा करने पर है चाहे वह नशा तरल चीज़ों से हो या ठोस चीज़ों से, इन्जैक्शन के द्वारा हासिल किया जाए या किसी और तरीक़े से, यह सब हराम हैं और इन सबसे बचना अनिवार्य है।

6- अफ़ीम, भांग, गांजा आदि की खेती व तिजारत का उद्देश्य इन्हीं नशीली पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल करना और इनकी तैयारी में सहयोग हो तो ये नाजायज और मना हैं

7- वे सब नशीले पदार्थ जो भांग व अफ़ीम जैसी चीज़ों से तैयार की जाए उनका इस्तेमाल और क्रय विक्रय नाजायज़ और हराम हैं।

8- जो लोग शराब और अन्य नशीली वस्तुओं के इस्तेमाल की आदत का शिकार हैं वे चेतावनी देने और सचेत किए जाने योग्य हैं और उन्हें तमाम संभावित तरीक़ों द्वारा बचाने की कोशिश करना शरई व मानवीय कर्तव्य है।

9– जो लोग इस बुरी आदत को फ़ैलाने का कारण बनते हैं चाहे व्यापार व कारोबार द्वारा या किसी अन्य तरीक़े से, ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज़ न आने की सूरत में कड़े दंड के हक़दार हैं।

10- हर ऐसा जायज़ उपाय अपनाना जिससे नशे की आदत छुट जाए, शरई रूप से आवश्यक और मानवीय व नैतिक कर्तव्य है।

11- नशे की आदत छुडाने के लिए यदि जायज़ वस्तुओं से इलाज न हो पा रहा हो और बड़ी मजबूरी

का सामना हो तो माहिर चिकित्सकों के परामर्श से धीरे धीरे नशीली वस्तुओं से भी इलाज की गुंजाइश है।

12- शरीर व जान स्वास्थ्य और योग्यता व क्षमता सब अल्लाह की अमानत व नेमत हैं उनकी हर संभव सुरक्षा इन्सान पर फ़र्ज़ है इस लिए नशीली वस्तुओं से बचने के साथ उन तमाम वस्तुओं के इस्तेमाल से भी बचना आवश्यक है जो शरीर और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं और ख़तरनाक बीमारियों का ज़रिया बनती हैं जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आदि।

☆☆☆